प्रेस विज्ञप्ति
20/08/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 12.08.2026 को मुंबई और ठाणे में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने ठाणे शहर पुलिस द्वारा अमित मदनलाल लखनपाल, ताहा हाफिज काजी, सचिन वसंत शेलार, कोमल भीमराव शिरसाठ और अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि बिना मान्यता वाली क्रिप्टोकरेंसी मनी ट्रेड कॉइन (एमटीसी) बनाई गई तथा बड़ी संख्या में निवेशकों को इसमें निवेश करने के लिए धोखाधड़ीपूर्वक प्रेरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2017 से अप्रैल 2018 के दौरान लगभग **113.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी** हुई।

ईडी द्वारा की गई तलाशी के दौरान यह पाया गया कि दिल्ली, पुणे और नासिक में कई सेमिनार आयोजित किए गए, जिनमें लखनपाल ने स्वयं को वित्त मंत्रालय के अधिकारी के रूप में झूठा प्रस्तुत किया और एमटीसी कॉइन में निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया। उसने एमटीसी कॉइन को सरकारी मान्यता दिलाने का वादा करके निवेशकों को लुभाया। इसके बाद कॉइन डिपॉजिट रेशियो, एमटीसी बैंक्यू, एमटीसीएक्स इंडिया और क्रिप्टोजानिया सहित विभिन्न योजनाएं/एक्सचेंज शुरू किए गए, जिनमें कथित तौर पर एमटीसी कॉइन की दरों में हेरफेर किया गया तथा निकासी/ट्रेडिंग की सुविधाएं बंद कर दी गईं, जिससे निवेशकों को उनकी मूलधन राशि और वादे के अनुसार रिटर्न से हाथ धोना पड़ा।

ईडी की जांच में आगे पता चला है कि अमित लखनपाल ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एंटीगुआ और बारबुडा का पासपोर्ट प्राप्त कर भारत छोड़ दिया है और वर्तमान में फर्जी पहचान बनाकर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा है। तलाशी अभियान के दौरान लगभग **1 करोड़ रुपये की नकदी**, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।